भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 99
जिसका उत्तर सोमवार, 24 नवंबर, 2014 को दिया जाना है

वाहनों की सुरक्षा रेटिंग

99. प्रो. सौगत राय:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश की अग्रणी कार विनिर्माताओं के कुछ कार मॉडल टक्कर-परीक्षण के दौरान वयस्क कार प्रयोक्ता सुरक्षा के संदर्भ में प्राणघाती चोट लगने के उक्त खतरे के मानक पर कार द्वारा शून्य सुरक्षा-स्तर प्राप्त करने के कारण विफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कार विनिर्माताओं को लिए जारी किए निदेशों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क) से (ग): सरकार को टक्कर-परीक्षण में कार के किसी मॉडल के विफल रहने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, सड़क सुरक्षा दशक 2011-2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा सहयोग द्वारा विकसित की गई वैश्विक योजना विश्व के सभी क्षेत्रों में नए कार मूल्यांकन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को बढ़ावा देती है। भारत में सुरक्षा रेटिंग प्रणाली की आवश्यकता और इससे संबद्ध पहलुओं का विश्लेषण करने के लिए सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय द्वारा एक समिति का गठन किया गया है।

******